श्रम ज्योति

विभागीय राजभाषा पत्रिका

अंक: 9, वर्ष : 2023-24

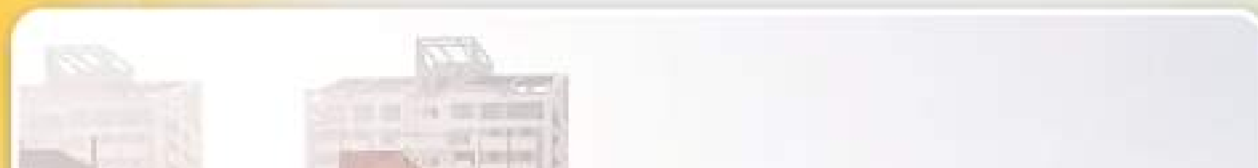

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

प्लॉट सं. 47 सैक्टर-34, गुरुग्राम, फोन सं. 0124-4051924

ई-मेल dir-gurgaon@esic.nic.in

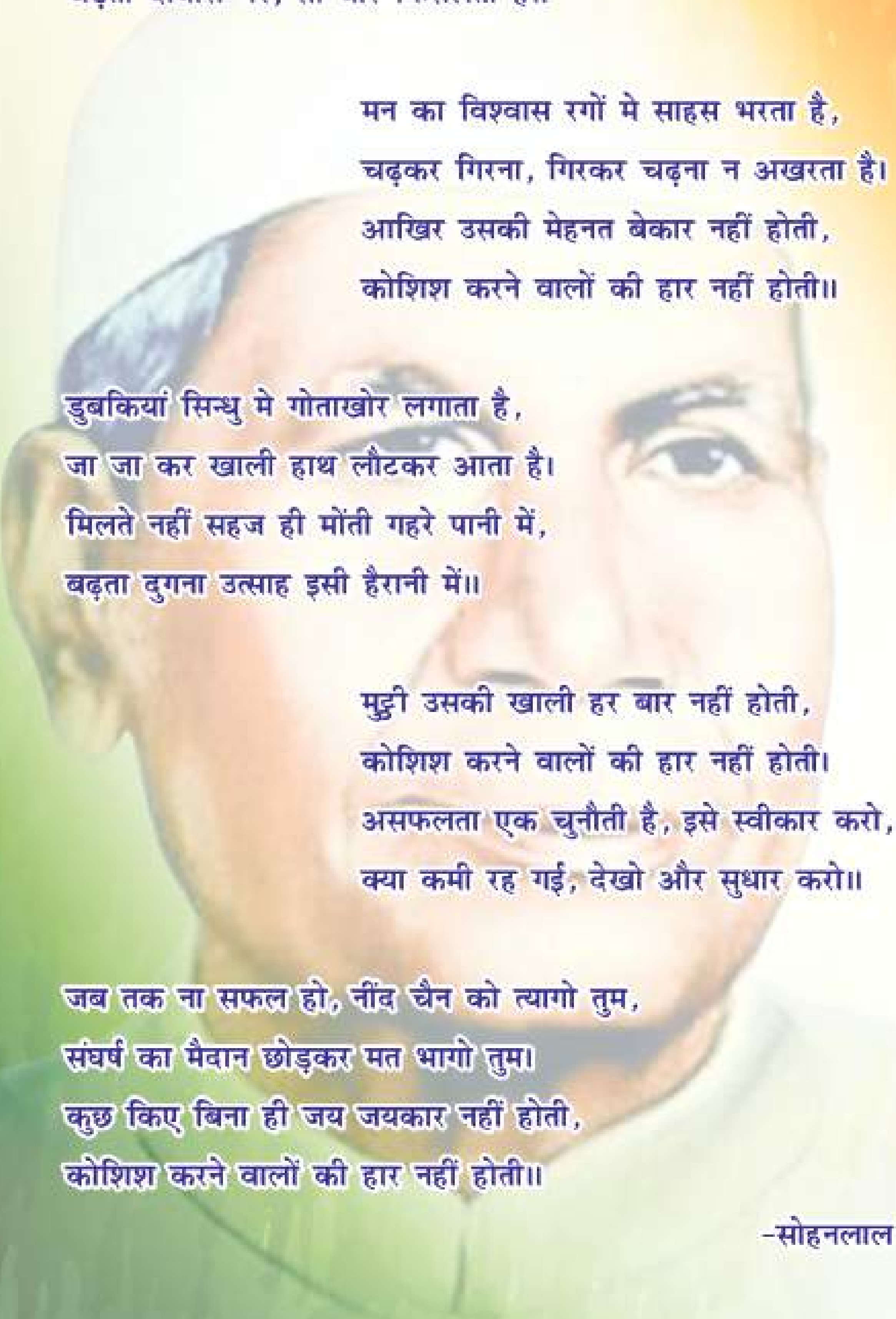

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नन्हीं चीटीं जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है॥

मन का विश्वास रगों मे साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती॥

डुबकियां सिन्धु मे गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोंती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में॥

मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो॥

जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती॥

-सोहनलाल द्विवेदी

सत्यमेव जयते

श्रम ज्योति

विभागीय राजभाषा पत्रिका

अंकः 9, वर्ष : 2023-24

संरक्षक

विकास कुण्डल

उप निदेशक (प्रभारी)

संपादक

स्वीटी यादव

सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

सुषमा दीवान

निजी सचिव

बिरजू सिंह

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

प्लॉट सं. 47 सैक्टर-34, गुरुग्राम

फोन सं. 0124-4051924

ई-मेल dir-gurgaon@esic.nic.in

अनुक्रमणिका

✿	महानिदेशक का संदेश	3
✿	वित्त आयुक्त का संदेश	4
✿	बीमा आयुक्त (का. एवं प्र.) का संदेश	5
✿	बीमा आयुक्त (राजभाषा) का संदेश	6
✿	संरक्षक की कलम से	7
✿	संपादकीय	9

क्र.सं.	विषय	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
1.	हितलाभों और सुविधाओं की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरुग्राम की भूमिका	सन्नी कुशवाहा	12
2.	संघ की राजभाषा नीति विषयक महत्वपूर्ण जानकारी		13
3.	दो बेटी	गीता तनेजा	15
4.	खुशी : एक भावना	लावण्या गोगड	15
5.	कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा	राजेश यादव	16
6.	अपनाएं स्वस्थ जीवन शैली	रविन्द्र कुमार	17
7.	क.रा.बी. निगम - भारत के स्वस्थ कार्यबल के लिए एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन	सचिन सिंह	18
8.	हिंदी	जितेन्द्र कुमार	20
9.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 73वां स्थापना दिवस	डॉ. स्वीटी यादव	21
10.	जीवन सार	राजेंद्र प्रसाद	23
11.	किसान	पंकज यादव	23
12.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 32वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	जगमोहन मीणा	24
13	नारी	सुमन	26
14.	संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह	पवन कुमार	27
15.	क्रोध से बात	सुषमा दीवान	30
16.	छह बातें अपनाएं	ममता सहगल	30
17.	न्याय की भाषा	बिरजू सिंह	31
18.	मंडला आर्ट	पूजा जोशी	32
19.	क्रोध - एक आंतरिक शत्रु	लोकेश	32
20.	भारत के दर्शनीय पर्यटन स्थल	आशना	33
21.	गुरु द्रोण ग्राम से मिलेनियम सिटी तक का सफर	मोनिका	35
22.	हिंदी-हर भारतीय की भाषा	पिंकी रानी	36
23.	भाषा और भाव	सुनील	38
24.	पिता का साया	मनोज कुमार	39
25.	अधिकार और कर्तव्य	विशाल	40
26.	विद्या अनमोल रत्न	श्रीभगवान	41
27.	ऊफ! ये मोबाइल	अंकुर कोहली	41
28.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	डॉ. स्वीटी यादव	42
29.	उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में कार्यग्रहण करने वाले नवनियुक्त अधिकारी - एक परिचय		44
30.	राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ		45
31.	उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशालाओं के चित्र		50
32.	विभिन्न गतिविधियाँ		51
33.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024		53
33.	बाल गतिविधि		55

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों/रचनाकारों के अपने हैं। उपक्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

सत्यमेव जयते

डॉ. राजेन्द्र कुमार (भा.प्र.से.)
महानिदेशक

संख्या: ए-49/17/1/2016-रा.भा.
दिनांक: 26-02-2024

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम हिंदी पत्रिका **'श्रम ज्योति'** के 9वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के लगभग एक दशक की यात्रा राजभाषा कार्यान्वयन में सहयोगी रही है। हिंदी पत्रिकाओं से हिंदी अभिव्यक्ति को बल मिलने के साथ-साथ दैनंदिन के कार्यालयी कामकाज में भी आसानी होती है।

गृह पत्रिका सभी के लिए हितकारी एवं ज्ञानवर्धक हो, यही मेरी कामना है।

शुभकामनाओं सहित।

राजेन्द्र कुमार
(डॉ. राजेंद्र कुमार)

श्री विकास कुण्डल
उप निदेशक (प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरूग्राम ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

टी. एल. यादेन
वित्त आयुक्त

सं. ए-49/17/2/2016-रा.भा.
दिनांक : 14.03.2024

संदेश

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की हिन्दी पत्रिका '**श्रम ज्योति**' के प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ देती हूँ। हिंदी पत्रिकाएँ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। इससे पाठक निगम की सामान्य कार्यप्रणाली के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और इसके पाठन से आनंद प्राप्त करते हैं। आशा है कि अपनी साजसज्जा और रचनात्मक सामग्री से पत्रिका पाठकों में पठनीयता बनाए रखने में उच्चतम मानदण्ड स्थापित करेगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

टी. एल. यादेन

(टी. एल. यादेन)

श्री विकास कुण्डल
उप निदेशक (प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरूग्राम ।

सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

प्रणय सिन्हा
बीमा आयुक्त (का. एवं प्र.)

अ.शा.पत्र सं:ए-49/17/ 4/2016-रा.भा .
दिनांक: 26.02.2024

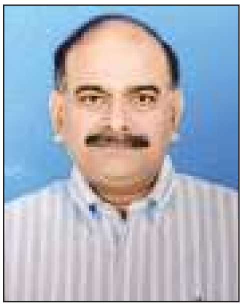

संदेश

हिन्दी पत्रिका 'श्रमज्योति' का प्रकाशन उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम का सराहनीय प्रयास है। 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा' कर्म ही सभी सफलताओं का मूल है। श्रम ज्योति कार्मिकों के श्रम और सृजन दोनों का दर्पण है। पत्रिका कार्मिकों के ज्ञान को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का पूरा मौका देती है।

मुझे विश्वास है कि पत्रिका अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए एक अनुकरणीय संकलन साबित होगी। शुभकामनाओं सहित।

(प्रणय सिन्हा)

श्री विकास कुण्डल
उप निदेशक (प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरूग्राम ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

रत्नेश कुमार गौतम
बीमा आयुक्त

संख्या: ए-49/17/3/2016-रा.भा.
दिनांक: 26-02-2024

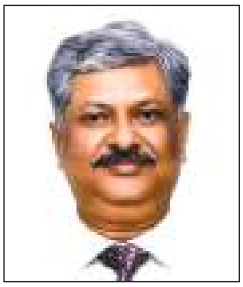

संदेश

मुझे जानकर हर्ष हुआ कि उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की हिन्दी पत्रिका **'श्रम ज्योति'** के 9वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। ज्ञान-विज्ञान, तकनीक और उद्योग का क्षेत्र गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। श्रम के विशाल केन्द्रीकरण ने इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। श्रम ज्योति के माध्यम से हिंदी के साथ-साथ, इस श्रम क्षेत्र की जानकारी, गतिविधि और सृजनात्मकता की जानकारी भी मिलेगी। पत्रिका का अंक सभी के लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हो, यही अपेक्षा है।

पत्रिका से जुड़े समस्त पक्ष को मेरी शुभकामनाएँ।

(रत्नेश कुमार गौतम)

श्री विकास कुण्डल
उप निदेशक (प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरूग्राम,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरूग्राम ।

संरक्षक की कलम से

हिंदी भारत की राजभाषा और सम्पर्क भाषा के साथ-साथ वर्षों से भारत के अंतस की भी भाषा रही है। हिंदी राजभाषा के रूप में सभी भारतीय भाषाओं से उर्जा लेकर अपना विकास सुनिश्चित करती है और सम्पूर्ण देश को 'वसुधैव कुटुम्कम' के सूत्र में बांधती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक धर्म, वर्ग और समुदाय के व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा अपनी सरलता और सुगमता के कारण बोधगम्य है। शासकीय कार्यो, साहित्य-सृजन के साथ-साथ हिंदी व्यवसाय की दृष्टि से भी एक समर्थ भाषा है। सदभावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन के समुच्चय पर आधारित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। हिंदी के प्रश्न को स्वराज से जोड़ते हुए महात्मा गाँधी जब यह कहते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना बेहद आवश्यक है तो गांधी न केवल एक भाषा की बात करते हैं बल्कि समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की भी बात करते हैं। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें।

हिंदी भाषा की सरल और सहज प्रवृत्ति को उजागर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, "भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है, हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है तथा हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों और भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।" हिंदी जन-जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव कराती है तथा सभी को एक सूत्र में बांधती है। हिंदी का महत्व इस बात में है कि यह हमारी आजादी की भी भाषा है। आज हम कहने और करने में जिस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, हिंदी मुक्ति के उस पथ की साक्षी रही है। हिंदी और हिंदी से जुड़ी बोलियों ने न केवल साबरमती के संत के त्याग से हमें परिचित कराया बल्कि मर्दानी लक्ष्मीबाई की वीरता के वैभव को भी हमारे सामने रखा। स्वतंत्रता सेनानियों के स्वरों को अपने में समेटे हुए हिंदी आज भी उस आन्दोलन को जीवंत बना देती है। हिंदी उन सभी जन-आंदोलनों की भाषा रही है जिन्होंने हमारे देश की एकता और संप्रुभता को अधिक मजबूत किया है। हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी का प्रयोग और प्रसार - प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रबंधन, प्रोन्नति, प्रतिबद्धता, प्रयास और सद्भावना पर आधारित हो।

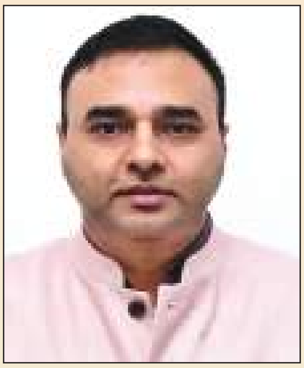

हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि वर्ष 2014-15 से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विदेशी संबंधों, कूटनीतिक चर्चाओं और औपचारिक संबोधनों के लिए हिंदी को व्यवहार में लाने से विश्व समुदाय और विश्व के विकसित देशों को यह आभास हुआ है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व भी अपनी राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति गंभीर है। हिंदी का बढ़ता प्रयोग यह दर्शाता है कि सभी राष्ट्रों को भारत के साथ अपने अंत: संबंधों के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा हिंदी के व्यवहार को स्वीकार करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक मंचों पर भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को व्यक्त करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का राष्ट्रीय जनचेतन की जीवंत भाषा के रूप में प्रस्तुति और प्रयोग वैश्विक परिदृश्य के साथ ही भारतीय जनमानस में गर्व का संचार करता है। भारत सरकार के प्रयासों से जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और आवश्यक सूचनाएं आधिकारिक भाषाओं के अलावा हिंदी में भी जारी

की जाएंगी। इससे स्पष्ट होता है कि अब हिंदी को अखिल भारतीय महत्ता व प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हमारा संविधान हमें हिंदी में कार्य करने और हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित करता है। हिंदी का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय महत्व का कार्य है इसलिए हमसब का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम सब पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ राजभाषा नीति- नियमों का अनुपालन करें और अपना समस्त कार्य हिंदी में करें। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में कर रहे हैं। हमारे कार्यालय में राजभाषा नीति नियमों का भी सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। फिर भी मेरा यह मानना है कि राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें सेवा भावना से और अधिक प्रयास करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ''आत्मनिर्भर भारत'' से प्रेरित होकर हमें राजभाषा के प्रचार प्रसार के कार्य को संवैधानिक अनिवार्यता के स्थान पर अपना सामाजिक दायित्व मानते हुए सत्य निष्ठा से कार्यान्वित करना होगा । राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 आदि और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित रूप से करने हेतु हमें सकारात्मक सोच और दृढ़ता के साथ काम करना होगा।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम और इसके अधीनस्थ सभी शाखा कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग के संवर्धन हेतु उत्साहवर्धक और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सभी कर्मी पूर्ण लगन के साथ कटिबद्ध होकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी रचनाकारों का हृदय तल से आभारी हूं जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने अनुभवों और विचारों को गद्य और काव्य रूपी उत्कृष्ट लेखन से 'श्रम ज्योति' को सुसज्जित किया है। मैं पत्रिका के प्रकाशन में तन्मयता से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इसे मूर्त और आकर्षक आकार प्रदान किया है। इस पत्रिका में राजभाषा से संबंधित विषयों के महत्व को प्रकट करने के साथ-साथ इसे रोचक तथा ज्ञान वर्धक बनाने का भी ध्यान रखा गया है। पत्रिका में प्रकाशित विषय वस्तु एवं सामग्री के संबंध में पाठकों के विचार, मूल्यवान सुझाव और प्रतिक्रियाओं को हम सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे जिससे श्रम ज्योति के आगामी अंकों को और अधिक समृद्ध और उपयोगी बनाने में हमें सहायता प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए सब को प्रेरित करेगी। साथ ही हिंदी प्रयोग और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भी यह उपयोगी पत्रिका सिद्ध होगी। देश की आजादी के अमृतकाल में भारत के साथ ही अन्य देशों में भी हिंदी सीखने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि की अनुभूति के साथ भव्य व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आपसी संवाद व समझ विकसित करने में हिंदी की निरंतर बढ़ती हुई भूमिका भी अत्यन्त सुखद है। इन्हीं शब्दों के साथ श्रम ज्योति का नौवां अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। अंत में, मैं महात्मा गांधी की निम्नलिखित पंक्तियों के साथ अपने कथन को विराम देता हूं:-

"हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय- हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है।"

विकास कुण्डल
उप निदेशक(प्रभारी)

सम्पादकीय

भारत बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं भारत के विभिन्न प्रांतों के जनजीवन और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के विभिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनकर पूरे देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में सांस्कृतिक और वैचारिक विभिन्नताओं के बीच अनेकता में एकता को मूर्त करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी एक समृद्ध, भाषिक तथा भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। हिंदी की प्रकृति संकुचित न होकर समन्वयात्मक है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है क्योंकि अनेक प्रान्तों से मिलकर बना यह देश विभिन्नताओं की बहुरंगी छवि प्रस्तुत करता है। हमारे देश में भाषायी विविधता है लेकिन हमारी सांस्कृतिक एकता और वैचारिक समता सदैव सर्वोपरि रही है। राष्ट्रीय एकता की इस कड़ी को सुदृढ़ बनाने में हिंदी ने आरम्भ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारतीय चिंतन की मूल धारा को सहेजने-संवारने और संप्रेषित करने में हिंदी हमेशा से अग्रणी रही है। साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में हिंदी ने सामासिकता के भाव को अत्यंत प्रखरता से प्रदर्शित किया है। हिंदी भाषा की सरलता और सहजता इसे इस प्रकार सहज बनाती है कि भाषा का प्रत्येक भाव बोधगम्य लगने लगता है । इसी सहजता को उदघाटित करते हुए मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है -

"मेरी भाषा में तोते भी राम-राम जब कहते हैं,
मेरे रोम-रोम में मानो सुधा-स्रोत तब बहते हैं।"

भाषा हमारे माथे की वो बिंदिया है जो जन-जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव कराती है तथा सभी को एक सूत्र में बांधती है। भाषा उस नदी के समान है जो शीतल, मधुर जल से मानव मात्र को आप्लावित करती है, सुखों-दुखों में साथ निभाने का हौसला बढ़ाती है। विश्व के एकीकरण तथा विश्व को एक सूत्र में आबद्ध करने में भाषा से अधिक कोई भी तत्व बलवान नहीं हो सकता। भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम कहा जाता है और जब यह भाषा जीवंत हो जाए तो यह महज भाषा भर नहीं रह जाती बल्कि हमारी प्रष्ठभूमि, हमारा इतिहास बन जाती है। हिंदी भाषा अपनी जीवंतता के कारण इतनी सहज और सरल है कि समाज और संस्कृति की संवेदनशीलता भी इसमें अपना स्थान पा लेती है। हिंदी भाव की भाषा है, हिंदी संवेदना की भाषा है, हिंदी अभिव्यक्ति की भाषा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखंड भारत में एकता और प्रेम का मार्ग केवल हिंदी के माध्यम से ही ज्यादा सशक्त और प्रशस्त किया जा सकता है। यही कारण है कि राजा राममोहन रॉय और केशवचंद्र सेन जैसे सुधारकों ने अपने विचारों के प्रसार के लिए इसे अपनाया। समाज में समरसता और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी इस भूमिका के निर्वाहन में पूर्ण रूप से सक्षम और सफल है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन और कामकाज अत्यंत सहज और सरल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाये।

यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1)के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है। यह देश के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अपने सहयोगी अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

मेरे लिए यह अपार हर्ष का विषय है कि उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की हिंदी पत्रिका 'श्रम ज्योति' का नौवां अंक आप सभी के समक्ष है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्मिकों को हिन्दी में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने में हिंदी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से विभाग के कर्मियों को रचनात्मक लेखन द्वारा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ उनमें सरकारी कामकाज हिंदी में कुशलतापूर्वक करने की अभिरुचि उत्पन्न होती है। हिंदी में मूल रूप से काम करने की प्रेरणा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ हिंदी गृह पत्रिका एक सशक्त माध्यम है। इससे किसी भी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का रचनात्मक कौशल वर्दित होता है और उनकी प्रतिभा निखरती है। मैं श्रम ज्योति की रचना करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं जिनके अमूल्य सहयोग से अलंकृत यह पत्रिका एक प्रेरक पत्रिका के रूप में सबके हृदय में राजभाषा के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का संचार करेगी। श्रम ज्योति के इस अंक में हमने उत्कृष्ट एवं प्रासंगिक कविताएं, लेख और राजभाषा सम्बन्धी विषयों, राजभाषा नीति/ नियमों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभिन्न लाभकारी योजनाओं आदि विविध प्रकार की सामग्री को समाविष्ट करके इसे जीवंत, ज्ञानवर्धक और रोचक बनाया है। राष्ट्र के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी में कार्य करने से न केवल हमारे देश के विकास की गति और अधिक तीव्र होगी बल्कि शासन-प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनते और विकसित होते हुए भारत की प्रगति में यह आवश्यक है कि हम सभी स्वेच्छा से हिंदी में कार्य करने का दृढ़ संकल्प लें। हमारा यह सम्पूर्ण प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में अपनी निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए, आजादी के अमृत काल में हम यह संकल्प लें कि हम सब प्रतिबद्धता, पूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ भाव और पूर्ण लगन के साथ अपना समस्त कार्य हिंदी में करके राजभाषा और भारत का गौरव बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। हम सभी यह भी प्रण लें कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा में हिंदी तथा भारत की अन्य स्थानीय भाषाओं के विकास में अपना अमूल्य योगदान देकर इस यात्रा को आजादी के साथ-साथ हिंदी भाषा की समृद्धि का काल भी बनायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकों को 'श्रम ज्योति' का नौवां अंक रुचिकर लगेगा। मैं आप सभी से यह अपेक्षा भी करती हूं कि सभी प्रबुद्ध पाठक पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के संबंध में अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं जिससे आगामी अंको में इसे और अधिक समृद्ध, ज्ञानवर्धक और उपयोगी बनाया जा सके।

डॉ स्वीटी यादव
सहायक निदेशक
(राजभाषा)

परिचय

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कार्यक्षेत्र

1. गुरुग्राम 2. रेवाड़ी 3. नूंह 4. महेन्द्रगढ़

शाखा कार्यालय/भुगतान कार्यालय

1. शाखा कार्यालय – गुरुग्राम
2. शाखा कार्यालय – डूंडाहेड़ा
3. शाखा कार्यालय – मानेसर
4. शाखा कार्यालय – धारुहेड़ा

औषधालय

क्र.सं.	औषधालय
1	क.रा.बी. औषधालय सं. 1, सिविल लाइन, शर्मा रेस्टोरेंट के समीप, गुरुग्राम
2	क.रा.बी. औषधालय, नं. 3, सिविल लाइन, शर्मा रेस्टोरेंट के समीप, गुरुग्राम
3	क.रा.बी. औषधालय, बसई, शर्मा रेस्टोरेंट के समीप, गुरुग्राम
4	क.रा.बी. औषधालय, नं. 2, प्लाट नं. 38.-381, उद्योग विहार फेस-2, गुरुग्राम
5	क.रा.बी. औषधालय, पालम विहार, प्लाट नं. 38.-381, उद्योग विहार फेस-2 ,गुरुग्राम
6	क.रा.बी. औषधालय, नाथूपुर ,प्लाट नं. 38.-381, उद्योग विहार फेस-2, गुरुग्राम
7	क.रा.बी. औषधालय, मकान नं. 8.ए, सुभाश चौक के पास, दुरानिया मौहल्ला, इस्लामपुर
8	क.रा.बी. औषधालय, कन्हई, मकान नं. 8.ए, सुभाष चौक के पास, दुरानिया मौहल्ला, इस्लामपुर
9	क.रा.बी. औषधालय, टोल प्लाजा के पास, खेड़की दौला
10	क.रा.बी. औषधालय, सैक्टर-37, टोल प्लाजा के पास, खेड़की दौला
11	क.रा.बी. औषधालय, प्रियंका पब्लिक स्कूल, अमर कॉम्प्लेक्स के पास, कासन रोड़, मानेसर
12	क.रा.बी. औषधालय, प्रियंका पब्लिक स्कूल, अमर कॉम्प्लेक्स के पास, कासन रोड़, मानेसर
13	क.रा.बी. औषधालय. 1, नियर सब तहसील, हवेली, धारुहेड़ा, रेवाड़ी
14	क.रा.बी. औषधालय. 2, बी.एस.एन.एल. कार्यालय, धारुहेड़ा, रेवाड़ी
15	क.रा.बी. औषधालय, नैचाना रोड़, बावल, जिला, रेवाड़ी
16	क.रा.बी. औषधालय, निरंकारी कालेज के पास, नूंह रोड़, सोहना
17	क.रा.बी. औषधालय, मोतीनगर, मकान नं. 269, सिघांना रोड़, नारनौल
18	क.रा.बी. औषधालय, स्पन कुंज, नियर शनि मन्दिर दौलताबाद, गुरुग्राम
19	क.रा.बी. औषधालय, ऋषि प्रकाश मेहरा, स्टारएक्स स्कूल के पास, गांव बिनौला, गुरुग्राम
20	क.रा.बी. औषधालय. 1, राजकीय कन्या व. मा. विद्यालय के सामने, नाई वाली चौक, रेवाड़ी
21	क.रा.बी. औषधालय. 2, गाँव- बिठवाना, जिला- रेवाड़ी
22	क.रा.बी. औषधालय, वार्ड नं. 3, मास्टर हाजी रफीक, क.रा.बी. औषधालय, नूंह

चिकित्सा अधीक्षक क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल गुरुग्राम सेक्टर – 9ए, गुरुग्राम – 122001	**चिकित्सा अधीक्षक** क.रा.बी. निगम अस्पताल मानेसर प्लाट सं. 41, सेक्टर -3, गुरुग्राम – 122050

चिकित्सा निर्देशी कार्यालय

चिकित्सा निर्देशी का कार्यालय

पता : कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल परिसर, सैक्टर 9ए, गुरुग्राम-122001

हितलाभों और सुविधाओं की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुरुग्राम की भूमिका

सन्नी कुशवाहा

परिचयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिक और कॉर्पोरेट केंद्र गुरुग्राम में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस लेख का उद्देश्य गुरुग्राम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और हितलाभों का विश्लेषण करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या है?

भारत सरकार द्वारा स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान करना है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। यह निगम जरूरत के समय जैसे बीमारी, मातृत्व, विकलांगता या रोजगार से संबंधित चोटों के कारण मृत्यु के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

गुरुग्राम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम : गुरुग्राम, जिसे मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कई उद्योगों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और एक महत्वपूर्ण कार्यबल का केंद्र है। आईटी, विनिर्माण, सेवाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की गुरुग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ गुरुग्राम में उपलब्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम सुविधाओं और हितलाभों का उल्लेख किया गया है:-

1. **स्वास्थ्य सेवाएँ:** गुरुग्राम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय और अस्पताल बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं में चिकित्सा परामर्श, नैदानिक परीक्षण, दवाएं आदि शामिल हैं।
2. **नकद हितलाभ:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमित कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी विकलांगता की अवधि के दौरान और रोजगार से संबंधित चोटों के कारण मृत्यु के मामले में नकद हितलाभ प्रदान करता है। ये हितलाभ चुनौतीपूर्ण समय में कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हैं।
3. **मातृत्व हितलाभ:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाली महिला कर्मचारी मातृत्व हितलाभ की हकदार हैं, जिसमें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान भुगतान छुट्टी और चिकित्सा व्यय शामिल हैं। इन हितलाभों का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व के दौरान उनके स्वास्थ्य और सलामती को बनाए रखने में सहायता प्रदान करना है।
4. **विकलांगता हितलाभ:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन बीमित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है जो रोजगार से संबंधित चोटों के कारण अस्थायी या स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं। ये हितलाभ कर्मचारियों को चोट के बाद उनकी आजीविका और जीवन की गुणवत्ता वापस पाने में मदद करते हैं।
5. **आश्रितों के हितलाभ:** रोजगार-संबंधी चोटों के कारण बीमित कर्मचारी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मृत कर्मचारी के आश्रितों को उनके कल्याण और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य हितलाभ प्रदान करके सहायता प्रदान करता है।
6. **जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना

के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हितधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना है।

निष्कर्ष: कर्मचारी राज्य बीमा निगम गुरुग्राम में कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालयों और अस्पतालों की उपस्थिति, विभिन्न नकद और गैर-नकद हितलाभों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि बीमित कर्मचारियों को जरूरत के दौरान समय पर सहायता मिले। कर्मचारी कल्याण और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देकर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम गुरुग्राम में कार्यबल की समग्र भलाई और उत्पादकता में योगदान देता है। अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिए जाने वाले हितलाभों को समझना और उनका लाभ उठाना अनिवार्य है।

उप निदेशक

संघ की राजभाषा नीति विषयक महत्वपूर्ण जानकारी

भारत के संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 से अध्याय 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं।

1. अनुच्छेद 351 के अनुसार: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्मय बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय ही वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) केन्द्र सरकार के कार्यालय से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है:-

- संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति।
- संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, सूचना एवं निविदा प्रारूप।
- संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र।

3. राजभाषा नियम 1963 की धारा (4) के अनुसार 26 जनवरी 1965 के दस वर्ष पश्चात् एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाएगी जो केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी और राष्ट्रपति से सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन करेगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे। जिनमें 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा से चुने जाएँगे। यह समिति गठित की जा चुकी है और इसने अपने प्रतिवेदन का 10वां खंड अगस्त, 2021 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।
4. राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987): ये नियम 17 जुलाई, 1976 से लागू किए गए हैं। ये नियम तमिलनाडु को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हैं। इन नियमों के अनुसार अब सरकार की परिभाषा में आयोग, समिति, अधिकरण, नियम और कम्पनी आदि भी शामिल कर लिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार सम्पूर्ण देश को हिन्दी भाषा के ज्ञान के स्तर की दृष्टि से तीन भागों में रखा गया है:-

'क' क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार।

'ख' क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, दमन-दीव तथा दादरा व नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र शेष सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य वर्णित है।

'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
'क' से 'क'=100%	'ख' से 'क'=90%	'ग' से 'क' =55%
'क' से 'ख'=100%	'ख' से 'ख'=90%	'ग' से 'ख'=55%
'क' से 'ग'=65%	'ग' से 'ग'=55%	'ग' से 'ग' =55%

5. राजभाषा नियम 6 के अनुसार संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, नोटिस, रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित तथा जारी किए जाते है।
6. राजभाषा नियम 7(1): कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में या अंग्रेजी में कर सकता है।
7. राजभाषा नियम 7(2): कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएँ तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
8. राजभाषा नियम 9: यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है या स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी को चुना था तो उसे हिन्दी में प्रवीण माना जाएगा।
9. राजभाषा नियम 10: यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके सूमल्य या उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण है अथवा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा।
10. राजभाषा नियम 11: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिता और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में मुद्रित और प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। सभी फार्म और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट तथा लेखन-सामग्री आदि की मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होगी।
11. यूनिकोड क्या है:- चूँकि कम्प्यूटर मूलत: संख्याओं से संबंध रखते है अत: प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या प्रदान करना ही यूनिकोड है। अर्थात् यह अंतरराष्ट्रीय बहुभाषीय पाठ के अक्षरों के कोडीकरण की व्यवस्था है। इसका आशय अद्वितीय/एकीकृत/सार्वभौमिक कोडीकरण है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का स्टैन्डर्ड या इनकोडिंग सिस्टम है।
12. राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जाँच बिन्दु 3 के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के लिए प्रेषण अनुभाग को जाँच बिन्दु बनाकर उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों आदि को जाने वाले पत्र आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब वे हिन्दी में हो या उनका हिन्दी अनुवाद साथ में हो।
13. जाँच बिन्दु 7 के अनुसार रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना: जो अनुभाग इन वस्तुओं को तैयार कराने का काम देखता है उनके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम ।। में उल्लिखित वस्तुएँ हिन्दी तथा अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करायी जाएँ। तीनों भाषाओं में प्रयुक्त अक्षरों के आकार समान होने चाहिए। भाषाओं के क्रम में सबसे पहले उपर क्षेत्रीय भाषा, फिर हिन्दी और अंग्रेजी रखी जानी चाहिए।
14. जाँच बिन्दु 8 के अनुसार सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ: सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ करने वाली शाखा के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मदारी है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सर्विस बुकों में हिन्दी में प्रविष्टियाँ की जाएँ। इस बात की पड़ताल सर्विस बुक में प्रविष्टि करते समय उस पर हस्ताक्षर करते समय अवश्य की जाए।
15. संविधान लागू होने के समय संविधान की अष्टम सूची में 14 मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया था। वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के अंतर्गत इसमें सिंधी भाषा और वर्ष 1992 के 71वें

संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली तथा वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली भाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिन्दी 16. मणिपुरी 17. नेपाली 18. कोंकणी 19. मैथिली 20. संथाली 21. बोडो 22. डोगरी।

दो बेटी

गीता तनेजा

एक बाप की दो बेटी, सरल बडी नटखट छोटी
कनु विधि नाम पड़ा, रोज करें दोनों झगड़ा
छोटी मार लिया करती, जरा न पिटने से डरती
बडी दयालु भाव की थी, सिसकी भर भर रो लेती
बडी बोलना जाने थी, अपनों को पहचाने थी
मम्मी उनको बैठाती, लाड प्यार से समझाती
देखो नहीं झगड़ते हैं, मिलजुल कर सब रहते हैं
लड़ना बुरी बात बेटी, गंदो का बिसात बेटी
चलो प्यार से अब खेलो, एक दूसरे से बोलो
पर बचपना कहाँ जाता, पल में खेल बिगड़ जाता
थोडी देर प्यार रहता, फिर झगड़ा सवार होता
बहुत लड़ाकी छोटी थी, लेती काट चिकोटी थी

कार्यालय अधीक्षक

लावण्या गोगड

खुशी : एक भावना

छोटी सी जिन्दगी है
हर बात में खुश रहो
जो चेहरा पास न हो,
उसकी आवाज में खुश रहो,
कोई रूठा हो तुमसे,
उसके इस अंदाज में भी खुश रहो,
जो लौट के नहीं आने वाले,
उन लम्हों की याद में खुश रहो,
कल किसने देखा है,
अपने आज में खुश रहो,
खुशियों का इंतजार किसलिए,
दूसरो की मुस्कान में खुश रहो,
क्यूँ तडपते हो हर पल किसी के साथ को
कभी तो अपने में खुश रहो,
छोटी सी जिन्दगी है
हर हाल में खुश रहो

पुत्री रविंदर कुमार
सहायक निदेशक

हिन्दी द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।

-स्वामी दयानन्द

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा

राजेश यादव

बात नवम्बर, 2012 की है, जिस समय मैं उप श्रेत्रीय कार्यालय ओखला में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था।

मैं अपने घर से अपने ऑफिस के लिए कार से निकला। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लिफ्ट लेने का इशारा किया। बुजुर्ग को देखकर मैंने गाडी रोक ली व शीशा नीचे कर पूछा कि दादाजी राम राम, आपको कहाँ जाना है

इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नजफगढ़ जाना है मैंने बोला कि मैं आपको झटिकरा मोड़ तक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ओखला में है। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जतायी और वह गाड़ी में बैठ गये। बैठने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ओखला में क्या कार्य करते हो। मैंने कहा कि मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्य पर हूँ व मैने उनको अपने कार्य के बारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा कि क्या रोज कार से जाते हो? मैंने कहा नहीं, कभी कार से कभी बाइक से। उन्होंने कहा क्योंकि रोज रोज कार से ज्यादा खर्चा आता है। उन्होंने मेरी तनख्वाह के बारे में पूछा मैंने कहा काट कर लगभग 40,000 मिलते हैं। इस पर उन्होंने कहा रोज-रोज गाड़ी से जाने में अधिक खर्चा है। मैंने कहा कि मेरी पत्नी भी सरकारी नौकरी में है व वह भी लगभग इतना कमाती है। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा आजकल बीमारी का कुछ नहीं पता, बहुत खर्चा हो जाता है। मैंने कहा कि ठीक कहा आपने। क्या आप मेरे गाँव से किसी को जानते हो? उन्होंने नाम बताना शुरू किया तो बीच में मैंने कहा कि आप स्व श्री चन्द्र जी को जानते हो जिनका समाधि स्थल बनाया गया है। मैंने कहा कि मैं उनका पोता हूँ।

इस पर उन्होंने सोच कर कहा कि फिर तो तुम्हारी गाड़ी हमेशा चलेगी। उनकी इस बात को मैं हमेशा अपने खानदान में कहता हूँ कि हम सब आज जो भी हैं, अपने पूर्वज दादाजी की वजह से हैं। हमारे पूर्वजों के कर्म हमारी समृद्धि का साधन अवश्य बनते हैं। सही ही कहा गया है कि अच्छे कर्म व्यक्ति के साथ ही उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकार से ऐसे साधक का कार्य करते हैं जिससे हर दुविधा, हर संकट उसके लिए गौढ़ हो जाते हैं। और उसे अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होने लगता है।

सहायक निदेशक

शक्ति और क्षमा

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल
सबका लिया सहारा
पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे
कहो, कहाँ, कब हारा?

क्षमाशील हो रिपु-समक्ष
तुम हुये विनत जितना ही
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।

अत्याचार सहन करने का
कुफल यही होता है
पौरुष का आतंक मनुज
कोमल होकर खोता है।

क्षमा शोभती उस भुजंग को
जिसके पास गरल हो
उसको क्या जो दंतहीन
विषरहित, विनीत, सरल हो।

तीन दिवस तक पंथ मांगते
रघुपति सिन्धु किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छन्द
अनुनय के प्यारे-प्यारे।

उत्तर में जब एक नाद भी
उठा नहीं सागर से
उठी अधीर धधक पौरुष की
आग राम के शर से।

सिन्धु देह धर त्राहि-त्राहि
करता आ गिरा शरण में
चरण पूज दासता ग्रहण की
बँधा मूढ़ बन्धन में।

सच पूछो, तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की
सन्धि-वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।

सहनशीलता, क्षमा, दया को
तभी पूजता जग है
बल का दर्प चमकता उसके
पीछे जब जगमग है।

रामधारीसिंह दिनकर

अपनाएं स्वस्थ जीवन शैली

रविन्द्र कुमार

आज की नयी पीढ़ी कंप्यूटर, मोबाइल, बर्गर, पिज्जा और देर रात पार्टियों पर बहुत ज्यादा आश्रित हो गई है। मूलरूप से ये सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। लेकिन पेशेवर प्रतिबद्धताओं और व्यक्तिगत मुद्दों ने सबको जकड रखा है और इन सभी प्रतिबद्धताओं के बीच हम अपना स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं। इन दिनों हम लोग अपने दैनिक जीवन जीने में इतने व्यस्त हो गये हैं कि स्वस्थ जीवन जीने के क्या मायने हैं, यह भूल ही गये हैं।

स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे बुजुर्ग अक्सर पौष्टिक भोजन खाने, समय पर सोने, समय पर जागने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं लेकिन आज की हमारी पीढ़ी इन बातो पर अमल करती नजर नहीं आती है। बुजुर्ग पीढ़ी हमें आस पास के स्थानों पर जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करने के बजाय पैदल या साइकिल पर जाने को अक्सर प्रेरित करती है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और प्रदूषण में कमी करने में भी मदद मिलती है। हालांकि हममें से अधिकांश उनकी सलाह की उपेक्षा करते है जोकि अच्छी बात नहीं है। हमें स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए अपने बुजुर्गो से सीखना चाहिए तथा उनकी सलाह माननी तथा उस पर अमल भी करना चाहिए।

एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि–

1) स्वस्थ जीवन शैली आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तथा स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखती है।
2) तनाव मुक्त रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का बहुत अधिक योगदान होता है।
3) स्वस्थ जीवन शैली सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है।
4) स्वस्थ जीवन शैली हमें हमारे परिवार तथा समाज के और अधिक करीब तथा संगठित रखती है।
5) स्वस्थ जीवन शैली हमारी उत्पादकता को और बढ़ा सकती है।

इसलिए हमें धूम्रपान, शराब, जंक फूड, टीवी पर अधिक समय बिताना तथा मोबाइल स्क्रीन जैसे अस्वास्थ्यकर चीजो से बचना चाहिए। इस प्रकार की चीजों के लगातार इस्तेमाल करने से मानव शरीर में कई बीमारियाँ हो सकती है।

'स्वास्थ्य ही धन है,' वास्तव में ऐसा लगता लगता है कि हमारी पीढ़ी इसे भूल ही गई है। इसलिए अस्वास्थ्यकर चीजों को छोड़कर जिस तरह का जीवन हम जी रहे है उस जीवन शैली पर गंभीरता से विचार करने का समय है। जो जीवन शैली आज हम जी रहे हैं उससे हम अधिक धन तथा भौतिक वस्तुएँ इकट्ठा कर सकते हैं परन्तु इससे हम अपना जीवन छोटा तथा अस्वस्थ कर रहे हैं। अभी भी समय है अगर हम उन आदतों को बदल लें तो यह वाकई हमारी तथा हमारी आने वाली पीढियों के लिए वरदान सिद्ध होगा तथा हम अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे।

सहायक निदेशक

तुम सो जाओ मैं गाऊँ !

-महादेवी वर्मा

मुझको सोते युग बीते,
तुमको यों लोरी गाते;
अब आओ मैं पलकों में
स्वप्नों से सेज बिछाऊँ !

प्रिय ! तेरे नभ-मंदिर के
मणि-दीपक बुझ-बुझ जाते;
जिनका कण कण विद्युत है
मैं ऐसे प्रान जलाऊँ !

क्यों जीवन के शूलों में
प्रतिक्षण आते जाते हो ?
ठहरो सुकुमार ! गला कर
मोती पथ में फैलाऊँ !

पथ की रज में है अंकित
तेरे पदचिह्न अपरिचित;
मैं क्यों न इसे अंजन कर
आँखों में आज बसाऊँ !

जब सौरभ फैलाता उर
तब स्मृति जलती है तेरी;
लोचन कर पानी पानी
मैं क्यों न उसे सिंचवाऊँ ।

इन भूलों में मिल जाती,
कलियां तेरी माला की;
मैं क्यों न इन्ही काँटों का
संचय जग को दे जाऊँ ?

अपनी असीमता देखो,
लघु दर्पण में पल भर तुम;
मैं क्यों न यहाँ क्षण क्षण को
धो धो कर मुकुर बनाऊँ ?

हंसने में छुप जाते तुम,
रोने में वह सुधि आती;
मैं क्यों न जगा अणु अणु को
हंसना रोना सिखलाऊँ !

क.रा.बी. निगम - भारत के स्वस्थ कार्यबल के लिए एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

सचिन सिंह

विलियम बैवरिज के अनुसार, ''सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय, जब उसकी कमाई कम हो जाए, तथा बीमारी, जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है।'' कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस अवधारणा को सार्थक सिद्ध कर रहा है तथा भारतवर्ष के कामगारों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, नि:शक्तता तथा रोजगार चोट के कारण मृत्यु जैसी आकस्मिक्ताओं के प्रभाव से संरक्षित करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। क.रा.बी. अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है। राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत व्याप्ति का विस्तार 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले दुकानों, होटल, रेस्तरां, सिनेमा सहित थिएटरों, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षिक सस्थानों और नगर निगमों/नगर निकायों के संविदा और नैमित्तिक कर्मचारियों तक कर दिया है।

केंद्र सरकार ने धारा ।(5) के अंतर्गत व्याप्ति का विस्तार 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाओं, सिनेमा सहित पूर्वावलोकन थिएटर, समाचार-पत्र स्थापनाओं, बीमा व्यवसाय में लगी स्थापनाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पोर्ट ट्रस्ट, हवाई अड्डे तथा भंडारण स्थापनाओं तक कर दिया है, जहां केंद्र सरकार समुचित सरकार है। अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए मौजूदा वेतन सीमा ₹21,000 प्रति माह (नि:शक्त व्यक्तियों के मामले में ₹25,000 प्रति माह) है, जो कि 01.01.2017 से प्रभावी है। क.रा.बी. योजना नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से वित्तपोषित होती है। नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारियों को देय मजदूरी का 3.25% है। कर्मचारियों के अंशदान की दर कर्मचारी को देय मजदूरी का 0.75% है। दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन ₹176/- तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों को अपना अंशदान हिस्सा देने से छूट प्राप्त है। बीमारी हितलाभ, नि:शक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, मातत्वृ हितलाभ और चिकित्सा हितलाभ क. रा. बी. योजना के अंतर्गत प्रदत्त मुख्य हितलाभ है। इनके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना), प्रसवावस्था व्यय, अंत्येष्टि व्यय, व्यवसाय पुनर्वास, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) हित लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य हितलाभ हैं।

व्याप्ति

आरंभ में, क रा. बी योजना सन् 1952 में मात्र दो औद्योगिक केन्द्रों, नामत: कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच तथा जनसांख्यिकी-व्याप्ति की दृष्टि से इस योजना ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई यह योजना आज देश के 36 राज्यों एवं संघ-राज्य क्षेत्रों के 661 जिलों में लागू है। वर्तमान में यह अधिनियम देशभर के 15.94 लाख से अधिक कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू है तथा लगभग 3.42 करोड़ बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार इकाइयों को योजना के हितलाभ प्रदान कर रहा है। लाभार्थियों की कुल संख्या 13.30 करोड़ से अधिक है।

अवसंरचना

वर्ष 1952 में योजना के लागू होने के बाद से ही कामगारों की निरंतर बढ़ती संख्या के अनरूप सामाजिक सुरक्षा की अपक्षेाओं को पूरा करने के लिए योजना के अवसंरचना तंत्र में विस्तार होता रहा है। क.रा.बी. निगम ने अभी तक अंत: रोगी सेवाओं के लिए 161 अस्पताल (54 क.रा.

बी. निगम अस्पताल और 107 क.रा.बी योजना अस्पताल) स्थापित किए है। लगभग 1574/387 क.रा.बी. औषधालयों/आयुष इकाइयों और 887 पैनल क्लीनिकों के तंत्र के माध्यम से प्राथमिक तथा बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और नकद हितलाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा 104 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोले गए हैं। जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत कामगारों में व्यवसायजन्य रोगों का जल्दी पता लगाने व उसके उपचार के लिए मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), अलवर (राजस्थान), पटना (बिहार) तथा इंदौर (मध्यप्रदेश) में निगम ने व्यावसायिक रोग निदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, क. रा. बी. निगम देश भर में 8 चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, 2 दंत्य महाविद्यालय, 2 नर्सिंग महाविद्यालय और 1 पैरा- चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित करा रहा है। नकद हितलाभों का भुगतान, निगम के 604 से अधिक शाखा कार्यालयों के तंत्र के माध्यम से संचालित होता है, जिनके कार्यों का पर्यवक्षेण 64 क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

क.रा.बी. निगम - भारत के कार्यबल के लिए एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक सुरक्षा को वैसी सुरक्षा परिभाषित करता है, जो समाज कुछ जोखिमों के विरूद्ध एक संगठन के माध्यम से प्रदान करता है, जिनसे इसके सदस्य हमेशा जूझते रहते हैं। ये जोखिम अनिवार्यत: ऐसी आकस्मिकताएं हैं जिनके विरुद्ध न्यून साधनों वाला व्यक्ति प्रभावी रूप से अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से या अपने साथियों के साथ निजी संयोजन में भी प्रभावी ढंग से समाधान नहीं निकाल सकता है। इसीलिए, सामाजिक सुरक्षा के तंत्र में प्रकृति के अंधे न्याय और आर्थिक गति विधियों का मुकाबला करने के लिए तर्क संगत नियोजित न्याय द्वारा उदारता के स्पर्श के साथ इसे नियंत्रित करना शामिल है।

क.रा.बी. निगम देश का ऐसा एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो अधिकांश आकस्मिकताओं (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सूची में उल्लिखित) जो बीमारी, कामगार के लिए चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, रोजगार चोट, कामगार की मृत्यु, नि:शक्तता और वैधव्य, को समाहित करता है।

क.रा.बी. योजना 'क्षमता के अनुसार अंशदान और आवश्यकतानुसार हितलाभ' के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत समाज के निचले वेतन वर्ग से संबंध रखने वाले बीमाकृत व्यक्ति को उसकी अर्जन क्षमता के अनुसार अंशदान का भुगतान करने पर हितलाभों का हकदार बनाता है।

क.रा.बी. योजना के तहत किए गए प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से बीमाकृत व्यक्ति/महिला को आपातकालीन चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान उसकी बचत या कमाई पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सहायता मिलती है। क.रा.बी. योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले हितलाभ निम्नानुसार है:-

- **चिकित्सा हितलाभ:** क.रा.बी. निगम बीमा योग्य रोजगार में प्रवशे करने के पहले दिन से बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के आश्रितजन सदस्यों को समुचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं में निवारात्मक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं की श्रेणी शामिल है। इसके लिए, बीमाकृत व्यक्ति अपनी पहचान दिखाकर क.रा.बी. औषधालय और अस्पतालों में उपचार करा सकता है।
- **बीमारी हितलाभ:** लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाता है। इसके लिए कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया जाना चाहिए।
- **मातृत्व हितलाभ:** प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक का, दो जीवित बच्चों तक, दो से अधिक जीवित बच्चों के लिए 12 सप्ताह का, कमीशनिंग/गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह तक का, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक का, जिसे गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात की वजह से कमजोरी की स्थिति में चिकित्सक के परामर्श पर अगले 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, दो पूर्ववर्ती योगदान अवधि में 70 दिनों के योगदान की शर्त पर, भुगतान किया जाता है।
- **नि:शक्तता हितलाभ:** बीमाकृत व्यक्ति को नि:शक्तता हितलाभ चोट लगने के कारण दिया जाता है। अस्थायी नि:शक्तता और पूर्ण स्थायी नि:शक्तता के मामलों में 90 प्रतिशत की दर से औसत दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है एवं आंशिक स्थायी नि:शक्तता के मामले में यह लाभ कमाने की क्षमता में हुए नुकसान के अनुपात में दिया जाता है।

- **आश्रितजन हितलाभ:** रोजगार चोट के परिणामस्वरूप बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है जो सभी आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति की विधवा को आजीवन अथवा पुनर्विवाह तक पुत्र के लिए 25 की आयु तक तथा पुत्री के विवाह तक दिया जाता है।
- **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई):** बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगारी के मामले में वेतन के 50 प्रतिशत की दर से 90 दिनों तक के नकद मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके लिए, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा बेरोजगारी के ठीक पूर्ववर्ती 12 माह की अवधि में एक पूरी अंशदान अवधि हेतु कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया हो।
- **वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल:** सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने या पर्वू-सेवानिवृत्ति के अधीन बीमाकृत व्यक्ति और उनके पति या पत्नी को क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों में बीमा योग्य रोजगार में 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त और सेवानिवृत्ति के बाद ₹120/- प्रति वर्ष के भुगतान पर वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।
- **व्यावसायिक पनुर्वास भत्ता:** नि:शक्तता से तात्पर्य कौशल को पूर्ण रूप से खो देना नहीं है। रोजगार चोट के परिणामस्वरूप हुई नि:शक्तता के मामले में वास्तविक शुल्क अथवा ₹123/- प्रति दिन का भुगतान।
- **पुनर्वास भत्ता:** रोजगार चोट के कारण शारीरिक नि:शक्तता के मामले में औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत का भुगतान, जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग व स्थिरीकरण / मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती हैं।
- **अन्य हितलाभ प्रसूति व्यय:** ₹7500/- प्रति प्रसवावस्था जहां क.रा.बी. चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
- **अंत्येष्टि व्यय:** मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि हेतु अधिकतम ₹15000/- नकद अथवा वास्तविक व्यय।

निष्कर्ष स्वरुप यही कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी जी ने भारतीय कामगारों के स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए जिस सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा की कल्पना की थी उसे क.रा.बी. निगम सजीव रूप में साकार कर रही हैं तथा देश के स्वस्थ कार्यबल के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उप निदेशक

हिंदी

जितेन्द्र कुमार

हिंदी
हमारी हिंदी
राष्ट्रभाषा है हिंदी
हिन्द देश की आन है हिंदी
संस्कृत की लाडली बेटी है हिंदी
हिंदुस्तान की तो मातृभाषा है हिंदी
हमारा मान, सम्मान, अभिमान है हिंदी
हिंदुस्तान के माथे की तो बिंदी है हिंदी
सुन्दर, मीठी, सरल और सहज भाषा है हिंदी
हम सबकी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी
सब जन को एकसूत्र में पिरोने वाली डोर है हिंदी
काल को जीत लिया वो कालजयी भाषा है हिंदी
स्वंतत्रता की अलख जगाने वाली भाषा है हिंदी
जिसके बिना हिन्द थम जाये वो भाषा है हिंदी
गुलामी की जंजीर तोड़ने वाली है हिंदी
हिंदुस्तान की तो जीवन रेखा है हिंदी
वीर सपूतों की लाडली है हिंदी
स्वंतत्रता की कहानी है हिंदी
पराई नहीं अपनी है हिंदी
आपकी भी है हिंदी
मेरी भी है हिंदी
सबकी हिंदी
हिंदी हिंदी
हिंदी

अवर श्रेणी लिपिक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 73वां स्थापना दिवस

मैं मजदूर हूँ मुझे देवों की बस्ती से क्या!
अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाये।।
अम्बर पर जितने तारे उतने वर्षों से।
मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा।।

धरती को सुन्दर करने की ममता में।
बीत चुका है कई पीढियां वंश हमारा।।
अपने नहीं अभाव मिटा पाए जीवन भर।
पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ।।

युगों-युगों से इन झोपडियों में रहकर भी।
औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने।।
अपने घर के अन्धकार की मुझे न चिंता।
मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाये।।

मैं मजदूर हूँ मुझे देवों की बस्ती से क्या?
अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाये।।

- रामधारी सिंह दिनकर

स्वयं अभावों में जीवन व्यतीत कर इस धरा को स्वर्ग बनाने वाले श्रमबल की व्यथा का मार्मिक चित्रण करती हुई राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की यह पंक्तियां सभ्य मानव समाज को भीतर से उत्प्रेरित करती हुई हम सबसे श्रमिकों के कल्याण की अपेक्षा करती हैं। इसी प्रयोजन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रमिकों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर प्रतिबद्धता के साथ मजदूरों के हितों की सुरक्षा, उनके कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में निरंतर प्रयासरत है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऐसे असंख्य और अनगिनत श्रमिकों को अनेक माध्यमों से ऐसी सुरक्षा प्रदान कर रहा है जो उनके जीवन में रोशनी लाने का कार्य करती है। अपने श्रम से आम जन के जीवन को एक प्रकार से स्वर्ग बनाते हुए श्रमिकों के अभावों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दूर किया है। क.रा.बी.नि. का 73 वाँ स्थापना दिवस इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार निगम ने श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है। निगम ने श्रमिकों को भौतिक तथा वित्तीय सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर उनकी निराशा को पूर्णरूप से आशा में बदलने का कार्य किया है। दिनांक 24 फरवरी 2024 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित क.रा.बी.नि. के 73 वें स्थापना दिवस का सार यहाँ प्रस्तुत है।

डॉ स्वीटी यादव

निगम के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में **डॉ. राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक महोदय** ने क.रा.बी.नि. की 72 वर्षो की यात्रा, विकास और पड़ावों से परिचय कराते हुए कहा कि निगम की प्रथम प्राथमिकता श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। निगम की यात्रा से परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1952 में कानपुर और दिल्ली में क.रा.बी.नि. योजना लागू की गई। क.रा.बी.नि. योजना आज देशभर के 661 जिलों में लागू है। लगभग 3.42 करोड़ बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को मिलाकर कुल 6.30 करोड़ लाभार्थियों को निगम हितलाभ प्रदान कर रहा है। क.रा.बी.नि. वर्तमान में 165 अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम देशभर में आठ चिकित्सा महाविद्यालय, दो दन्त महाविद्यालय, दो नर्सिंग महाविद्यालय, एक पैराचिकित्सा महाविद्यालय संचालित कर रहा है। इनमें बीमित व्यक्तियों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। क.रा.बी.नि. द्वारा बीमित व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु 05/02/2024 से 19/02/2024 तक सभी क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कार्यालयों में, चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में विशेष सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत जागरूकता कैम्प, सुविधा समागम, हेल्थ मेला, हेल्थ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निगम द्वारा 5जी एम्बुलेंस सुविधा का प्रारम्भ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कामगारों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने हेतु आगामी पाँच वर्षो में 104 नए अस्पतालों का निर्माण किया जायेगा तथा बदलती प्रणाली और समय संदर्भो के अनुसार निगम द्वारा आधार सीडिंग, वार्षिक स्वास्थ्य निवारक, वरिष्ठ नागरिकों हेतु दवा वितरण, नमूना संग्रह जैसी सुविधाओं को अपनाया गया है।

सुश्री आरती आहूजा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने उद्बोधन में निगम की महत्ता और उल्लेखनीय उपलब्धियों से परिचय कराते हुए कहा कि यह स्थापना दिवस उन सभी बीमित व्यक्तियों को समर्पित है जिनकी वजह से हम सभी ने निगम की इस लंबी यात्रा को तय कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। समय के साथ परिवर्तन सभी संस्थानों के लिए न केवल महत्वपूर्ण बल्कि अनिवार्य भी है। नींव का अर्थ दृढ़ता और निरंतरता है। निगम ने बदलते समय के अनुसार अपने को ढाला है और उल्लेखनीय कार्य किया है। सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। रेफरल पालिसी के माध्यम से कोई भी बीमित व्यक्ति भारत में कहीं भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकता है। आयुष पालिसी, नार्थ ईस्ट पालिसी आदि क.रा.बी.नि. की समृद्धि में मील का पत्थर हैं। पब्लिक हेल्थ यूनिट के माध्यम से सुरक्षा का विश्लेषण और प्रयास निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखा कि ऑनलाइन क्लेम आदि के साथ ही ह्यूमन इंटरफरेंस भी बनी रहनी चाहिए ताकि कामगारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि सभी मिलकर निगम के लिए कार्य करें तो निश्चय ही सफलताओं के अनंत संभावनाओं के द्वार को खोला जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सर्वप्रथम खेल प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि क.रा.बी.नि. निरंतर सेवा के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। यह गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहटा एवं अलवर के मेडिकल कॉलेज को प्रथम बार देश को समर्पित किया जायेगा, जिन्हें एक वर्ष पूर्ण हो गया है। माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 डिस्पेंसरी - नीमराना, आबूरोड़ और भीलवाडा को निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर देश को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के अन्य स्थानों में 8 डिस्पेंसरी का उद्घाटन भी किया जाएगा। यह हर्ष का विषय है कि क.रा.बी.नि. के अस्पताल पिछले 10 वर्षों में 154 से बढ़कर अब 165 हो गये हैं। क.रा.बी.नि. की बदलती कार्यप्रणाली निगम की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही 8 नये अस्पतालों-छत्तीसगढ़ के कुरवा, राजस्थान के उदयपुर, बिहार के फुलवारी-शरीफ, तमिलनाडु के त्रिपुर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और भिलाई तथा झारखण्ड के आदित्यपुर में निर्मित अस्पतालों को भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को प्रथम बार समर्पित किया गया। पिछले दो वर्षों में 104 नए अस्पतालों तथा 204 डिस्पेंसरी की स्वीकृति निगम की बड़ी उपलब्धि है। इन दो वर्षों में निगम में 5166 नए कर्मचारियों की भर्ती, जिनमें 1100 डॉक्टर भी शामिल हैं, भी निगम की सफलता का द्योतक है। क.रा.बी.नि. योजना में लाभार्थी को पूरा उपचार दिया जाता है। इस लाभ में कोई कैप नहीं है। निगम के कर्मचारियों में सेवा की भावना ही निगम की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा पूरे विश्व में निगम को बेस्ट सर्विस का अवार्ड मिलना इसका प्रमाण है।

माननीय मंत्री जी ने श्रमिक वर्ग के महत्व, भूमिका और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी देश के विकास में श्रमिक वर्ग की विशेष भूमिका है। यह हमारा दायित्व है कि हम इस श्रम बल के स्वास्थ्य लाभ को सुरक्षित करें। श्रम बल का स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ निगम को कॉर्डिनेंस (समन्वय) करना होगा। क.रा.बी.नि. देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चैनल है। क.रा.बी.नि. के अधिकारियों-कर्मचारियों का समर्पण भाव निगम की सफलता का मुख्य आधार है। निगम के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व है कि वे पूर्ण समर्पण भाव से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को और बेहतर संस्थान बनाने के लिए और अधिक प्रयत्न करें। वर्ष 2047 तक के लक्ष्य में मजबूत भारत बनाने की जो नींव है, वह है श्रमिक वर्ग। इस स्थापना दिवस पर हम सभी भारत के श्रमिक वर्ग को मजबूत बनाने का संकल्प लें।

अंत में **बीमा आयुक्त श्री रत्नेश कुमार गौतम** ने माननीय मंत्री एवं उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 73वां स्थापना दिवस निगम के 72 वर्षों की सफलता के इतिहास को सामने रखते हुए श्रमबल के प्रति निगम के कर्तव्य और संकल्प को भी दर्शाता है।

सहायक निदेशक (राजभाषा)

जीवन सार

राजेंद्र प्रसाद

यूँ ही नहीं बन जाते है गहरे रिश्ते... क्योंकि
रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अँधा,
कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है।
खुशनसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है
खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है
खुशी पाने के लिए हम चाहे ख्वाहिसों की कतारें लगा ले
या उम्मीदों के ढेर,
लेकिन सत्य यही है खुशियों का ताला,
उसकी चाबी से ही खुलता है।
स्वंयं के जीवन में अगर हम,
दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो,
वो ईर्ष्या बन जाती है और
अगर स्वीकार कर ले तो, वो प्रेरणा बन जाती है।
बहुत आसन होता है कोई उदाहरण पेश करना,
बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना।
जीतने के लिए, जिद्दी होना पड़ता है,
हारने के लिए तो एक डर ही काफी है।
ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते है।
फिर चाहे वह बोझ क्रोध का हो।
बदले का हो, या अभिमान का।

सहायक निदेशक

किसान

पंकज यादव

भरे पेट जो सभी जनों का
माटी में फसल उगाता है,
भारत माता का लाल वही
अपना किसान कहलाता है।

आलस तनिक न तन में रहता
भय न कभी भी मन में रहता,
कोई भी विपदा आ जाए
हँसकर वह सब कुछ है सहता।

भारत माता का लाल वही
अपना किसान कहलाता है।
कष्ट न देती धूप दिवस की
न अँधेरी रात डराती है,
डटा रहे हर समय खेत में
जब तक न फसल पक जाती है।

सूरज के उठने से पहले
वो पहुँच खेत में जाता है,
भारत माता का लाल वही
अपना किसान कहलाता है।

वह करे परिश्रम खेतों में
समय की मार भी सहता है,
मेहनत करता है पूरी और
संयम भी बांधे रहता है।

बोझ जिम्मेवारियों का
अकेला वही उठाता है,
मिले न दो निवाले कभी तो
वह भूखा ही सो जाता है
भारत माता का लाल वही
अपना किसान कहलाता है।

धरती माने माता समान
नित उसको शीश नवाता है,
भारत माता का लाल वही
अपना किसान कहलाता है।

बहुकर्मी स्टाफ

जो तुम आ जाते हो एक बार

हँस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आँखें देतीं सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार ।

-महादेवी वर्मा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 32वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

जगमोहन मीणा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दो दिवसीय 32वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 22-23 जून 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम ने की। सम्मेलन में श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त (राजभाषा) तथा श्री विकास कुंडल, उप निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम भी मंचासीन थे। सम्मेलन में देशभर में स्थित क.रा.बी.निगम के विभिन्न कार्यालयों एवं अस्पतालों के राजभाषा प्रभारी अधिकारियों और कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन की शुरुआत पंचदीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की गई। श्री पवन कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने देशभर से आए प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए गुरुग्राम का संक्षिप्त परिचय दिया।

श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने महानिदेशक एवं मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

श्री श्याम कुमार, संयुक्त निदेशक(राजभाषा) मुख्यालय ने सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह निगम का 32वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है। उन्होंने राजभाषा में कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निगम के कार्यालयों/अस्पतालों का निरीक्षण गंभीरता से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस, ई-टूल्स, कंठस्थ में हिंदी में काम करने आदि की उपयोगी जानकारी प्रदान करने के साथ ही राजभाषा प्रचार और प्रसार की दृष्टि से भी यह महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।

श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त ने राजभाषा हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए यह मंच ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसमें सभी अपने विचारों को सांझा कर सकें। उप निदेशक (राजभाषा) तथा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) निगम कार्यालयों/अस्पतालों का राजभाषायी निरीक्षण करते हैं परंतु राजभाषा सम्मेलन की अपनी महत्ता है। आपस में एक-दूसरे से अपने सुझाव, अपने अनुभव साझा करें। सभी को हिंदी में प्रोत्साहित कर उनसे हिंदी में काम कराना आवश्यक है। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना काम हिंदी में करें। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों द्वारा अपना परिचय दिया गया।

श्री विकास कुंडल, उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि प्रभार ग्रहण करते ही राजभाषा सम्मेलन के आयोजन का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हिंदी को भारतीय भाषाओं का केंद्र बिंदु मानें। उन्होंने कहा कि जब मैं नागपुर में था

तो मैंने देखा कि वहाँ पर देश का केंद्र बिन्दु है जिसे जीरो माइल कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत को अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया तो इस विभाजन के बाद नागपुर को पूरे देशभर का केंद्र माना गया था इसलिए यहां एक पत्थर स्थापित किया गया था जिसे 'जीरो माइल' कहा गया। उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। इस पत्थर के साथ भारत के दूसरे शहरों की दूरी का पता चलता है।

मुख्य अतिथि श्री कुमार पाल शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए विस्तार से हिंदी भाषा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदी का संदर्भ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। भारतीय भाषाओं का केंद्र हिंदी है। हिंदी की खड़ी बोली से भाषा तक की जो यात्रा है, वह गंगा की गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा है। उन्होंने हिंदी के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए अनुरोध किया कि मूल रूप से हिंदी में कार्य करें।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने पूरे निगम की ओर से महानिदेशक महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में महानिदेशक महोदय की उपस्थिति राजभाषा के प्रति उनकी रुचि को परिलक्षित करती है।

इसके बाद वर्ष 2021-2022 के दौरान आकर्षक एवं उत्कृष्ट विभागीय हिंदी गृह पत्रिका प्रकाशन हेतु 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के पुरस्कृत कार्यालयों और अस्पतालों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा वर्ष 2021-2022 के दौरान राजभाषा नीति का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन करने वाले 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के कार्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने कहा कि यहां देश भर से राजभाषा संवर्ग के कार्मिक आए हैं। ये एक अच्छे समन्वय के साथ काम करते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहा है। 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता अच्छी है उसे हम और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति लगातार निरीक्षण कर रही है। इनमें हमें बहुत अच्छी अनुशंसाएं मिली हैं। संसदीय राजभाषा समिति हमें मार्गदर्शन देती है। उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। महानिदेशक महोदय अत्यधिक परिश्रम के साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना का नेतृत्व कर रहे हैं।

महानिदेशक महोदय ने सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि हम अपने कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पिछले कई दशकों से यह हमारा लक्ष्य रहा है कि हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करें और समिति द्वारा हमारे कार्यालयों के जो निरीक्षण होते हैं, उसमें बेंचमार्क दिए जाते हैं, लक्ष्य तथा कार्य दिए जाते हैं, इन सबका उद्देश्य महज खानापूर्ति न रह जाए। इस बारे में अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। मूल कार्य हिंदी में करें। इससे हिंदी को काफी बढ़ावा भी मिलेगा। नवीनतम आई टी टूल्स का प्रयोग करके हिंदी के काम को आसान कर सकते हैं। आजकल हम ई-ऑफिस में काम करते हैं। ई-मेल प्रयोग करते हैं। मोबाइल पर व्हाट्सऐप प्रयोग करते हैं और भी कई दूसरी तरह की एप्लीकेशंस हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन 'धनवंतरी' या फिर अभी जो हमने अपने नए एप्स शुरू किए हैं, इन सब में हम हिंदी के प्रयोग को कैसे बढ़ाएं, इस पर सोचना होगा। मोबाइल पर हिंदी का की-बोर्ड आता है उससे आप हिंदी में बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में आई टी टूल्स के कारण एक बहुत बड़ा आंदोलन आया है। हिंदी में प्रस्तुत फाइल पर हिंदी में ही काम करें। जिन राज्यों की भाषा हिंदी नहीं है, वे भी हिंदी के प्रति उत्सुक हैं क्योंकि इससे अन्य लोगों से वार्ता

तथा संपर्क करना आसान हो जाता है। लोगों को हिंदी टूल्स के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे यहां बड़े ही उत्साह से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है एवं हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस कड़ी में राजभाषा सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है बीमाकृत व्यक्ति को सभी सुविधाएं प्रदान करना। अधिकांश या कहें बहुतायत बीमाकृत व्यक्ति हिंदी जानते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बीमाकृत व्यक्तियों के साथ जो संपर्क हो रहा है, वो हम हिंदी में ही करें।

समारोह के दूसरे सत्र में संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने 31वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अवगत कराया। चूंकि कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी ने ध्वनिमत से इसकी पुष्टि की। बीमा आयुक्त महोदय ने निदेश दिया कि प्रत्येक मद पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वसम्मति से मदों पर की गई कार्रवाई पर अनुमोदन किया गया।

श्री श्याम सुंदर कथूरिया, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), दक्षिण क्षेत्र ने उनके क्षेत्र से संबंधित कार्यालयों के लिए सुझाव दिए। श्री सूर्य प्रकाश, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उत्तर क्षेत्र ने बताया कि उनके क्षेत्राधीन क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी में काम अच्छा हो रहा है। अस्पतालों में और अच्छा कार्य किए जाने पर उन्होंने चर्चा की। श्री त्रिरत्न, उप निदेशक (राजभाषा) मध्य अंचल ने कहा कि मध्य अंचल में 26 इकाइयां हैं। सभी इकाइयों में राजभाषा निरीक्षण किए गए हैं। अधिकतर इकाइयों की स्थिति अच्छी हैं। श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), उत्तरी अंचल ने बताया कि कई अस्पतालों से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करने में समस्या आ रही है। श्रीमती अंकिता बनर्जी, उप निदेशक (राजभाषा), पश्चिम अंचल ने बताया कि पश्चिम अंचल में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कुल 18 इकाइयां हैं। इनसे मासिक रिपोर्टें मंगवा कर निरीक्षण कर मार्गदर्शन दिया जाता है।

सम्मेलन के सत्र को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने अनुरोध किया कि सभी अंचलों के उप निदेशक(राजभाषा) अपने- अपने अंचल में स्थित कार्यालयों/ अस्पतालों का व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाएं और इनमें सभी को जोड़ें।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने कहा कि सभी कार्यालय/अस्पताल आवश्यकता पड़ने पर 'टेली ट्रांसलेशन सेल' से अनुवाद कराएं। साथ ही सभी अनुवाद अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि मुख्यालय में तात्कालिक/अधिक अनुवाद आने पर और सहायतार्थ क्षेत्रों में भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी इसमें सहायता प्रदान करें।

दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन इस निर्णय के साथ समाप्त किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन सभी का सामूहिक दायित्व है और सभी मिलकर इसे पूरा करें।

सहायक निदेशक

नारी

नारी नहीं सारा संसार हूँ
पूरे हिंद की मैं शान हूँ

झुका नहीं सके कोई
वो प्रचंड आसमान हूँ,
अस्मत मेरी पे जो ताकता
उसके लिये हैवान हूँ,
कायनात की मैं अप्सरा
सृस्टि की पहचान हूँ।

जला नहीं सके मुझे
धधकते अंगार भी,
गर समझो तो आसाँ बहुत
वरना मैं चट्टान हूँ,
झाँसी भी, अविनाशी भी मैं
सीता सी महान हूँ!

नारी नहीं जहान हूँ
हिंद की मैं शान हूँ
फूल भी हूँ शूल भी मैं
कुलों की आन-बान हूँ,
लक्ष्मी और शक्ति भी मैं
शिव का गुमान हूँ,

गौर से तू देख तो
कण-कण में विराजमान हूँ।
अंत भी अनंत भी मैं
वेद और पुराण हूँ,
अर्पण भी हूँ, समर्पण भी मैं
ममता की मैं खान हूँ,
यामिनी हूँ, दामिनी भी मैं
ब्रह्मांड का मैं मान हूँ ।

नारी नहीं जहान हूँ
हिंद की मैं शान हूँ
तारिणी भी नारायणी भी मैं
शौर्यता का बखान हूँ,
कोख में मैं पालती
भीम सा बलवान हूँ,
आँगन की तुलसी भी मैं
नारी नहीं जहान हूँ

सुमन

हिंद की मैं शान हूँ
गुरू भी मैं, गुरुर भी
शिष्य भी गुणवान हूँ,
नारी नहीं जहान हूँ
हिंद की मैं शान

प्रवर श्रेणी लिपिक

संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

पवन कुमार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 नवंबर 2022 को संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में उत्तर-1 तथा उत्तर-2 क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रमों आदि के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम से कार्यालय अध्यक्ष तथा मैंने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नराकास अमृतसर की अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर जहांजेब अख्तर, नराकास अध्यक्ष गाजियाबाद, डॉ. शुचिस्मिता पलाई, राजभाषा विभाग के निदेशक बी. एल. मीना तथा संयुक्त निदेशक डॉ. राकेश बी. दुबे सहित उत्तर-1 एवं उत्तर-2 क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि पूरे देश में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम भूमिका है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने एवं सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग सतत प्रयासरत है और ये क्षेत्रीय सम्मेलन भी उसी दिशा में किए जाने वाले हमारे प्रयास हैं। उनका कहना था कि राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम करते हुए राजभाषा विभाग ने 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया। साथ ही मई 2022 में पहली बार ही नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन भी राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

डॉ. मीनाक्षी जौली ने बताया कि इस वर्ष हिंदी दिवस-2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में किया गया जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर से आए दस हजार से अधिक हिंदी प्रेमियों/ हिंदी सेवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग में तकनीक को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसका प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। इस टूल में अब तक लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं और पिछले दिनों सूरत में संपन्न हुए राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) का लोकार्पण भी किया गया है जिसमें अब न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के साथ-साथ और भी अनेक नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिससे इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ गई है।

इसी कड़ी में राजभाषा विभाग की एक नई पहल है 'हिंदी शब्द सिंधु' जिसका लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर-कमलों से सूरत में संपन्न हुआ है और जिसमें अब तक लगभग 51,000 शब्दों को शामिल किया जा चुका है और उसे विभाग द्वारा निरंतर अपडेट किया जा रहा है और नए-नए शब्दों को शामिल कर उसे समृद्ध किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी इस शब्दकोश को विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि क्षेत्रों से तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं से प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए तैयार किया गया है जो कि आने वाले समय में सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश के तौर पर उपयोगी सिद्ध होगा। डॉ. जौली ने यह भी कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । इस समय पूरे देश में इन समितियों की कुल संख्या 527 है। विदित हो कि आज आयोजित होने वाले क्षेत्रीय राजभाषा